उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-155/2019/2486/92-2-19-39जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 05 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध जिला प्रशासन, मेरठ द्वारा एक रैली के दौरान समाज विरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुददो पर लिये गये विध्वसंक भाषण के लिये थाना-मेडिकल, मेरठ में अभियोग संख्या-360/2002 पंजीकृत कराया गया, जिसमें उन्हें जेल जाना पडा। उक्त घटना के क्रम में जिलाधिकारी, बागपत के आदेश सं0-796/दिनांक 20-08-2003 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता को निलम्बित किया गया, जिसकी पुष्टि निदेशालय के आदेश सं0-2009/दिनांक 11-11-2003 द्वारा करते हुये प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश सं0-3578/दिनांक 06-11-2008 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश को उनके विरूद्ध जांच कार्यवाही चलते रहते के प्रतिबंध के साथ निलम्बन से बहाल कर दिया गया। तदोपरान्त निदेशक एवं मुख्य अभियंता के आदेश सं0-1421/ दि0 30-12-2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को इस शर्त के साथ समाप्त कर दिया गया कि उनके विरूद्ध थाना-मेडिकल मेरठ में योजित अभियोजन संख्या-360/2002 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय के अधीन होगा। साथ ही उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 30-12-2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश को उनके निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन भत्तो के भुगतान के भी आदेश निर्गत किये गये थे। श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के आदेश सं0-1483/दि0 12-06-2015 द्वारा अवेन्स में रखते हुये उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडने का उल्लेख किया जाना त्रुटिपूर्ण था। इसी प्रकार प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही एवं वाद के प्रचलित होने के बाद भी श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता के द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की संस्तुति किया जाना भी त्रुटिपूर्ण था। अतएव श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के क्रम में त्रुटिपूर्ण आदेश (दि0 12-06-2015) निर्गत किये जाने, श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के विरूद्ध अभियोग सं0-360/2002 के मा0 न्यायालय में निस्तारण हुये बिना ही उनके निलम्बन के औचित्य पर विचार कर उक्त अवधि के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किये जाने एवं श्री धर्मेन्द्र प्रकाश के द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री उमाशंकर, तत्का0 निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3), ग्रा0अभि0 वि0, मुख्यालय को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव

संख्या-155/2019/2486(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-337/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अ0अभि0/व्य0प0-डी-78/18-19 दिनांक 20-07-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री उमाशंकर के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक(स्था0-3) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग,मुख्यालय।

4- श्री उमाशंकर, तत्का0 निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।